रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1975/आषाढ़ 4, 1897

No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1975/ASADHA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th June 1975

SUBJECT.—*Extension of time limit for fulfilment of counter-export obligations under the Indo-Afghan Trade Arrangement*, 1974-75.

No. 55/ITC(PN)/75.—Attention of the trade is invited to the Ministry of Commerce Public Notices :

(i) Nos. 108-ITC(PN)/74, dated the 31st July, 1974 and 141-ITC(PN)/74, dated the 21st September, 1974 as amended by Public Notice No. 25-ITC(PN)/75, dated the 10th April, 1975; and

(ii) No. 160-ITC(PN)/74, dated the 19th October, 1974 as amended by Public Notice No. 24-ITC(PN)/75, dated the 10th April, 1975

in terms of which the last date for fulfilment of the counter export obligation for the limited purpose of counter-balancing the imports, that have already been effected from Afghanistan upto 28th February, 1975, was extended upto 30th June, 1975.

2. In view of the difficulties experienced by the trade in obtaining shipping space from Bombay to Karachi for the consignments intended for export to Afghanistan, the position has been reviewed, and in partial modification of the Ministry of Commerce Public Notices mentioned in paragraph 1 above, it has been decided to extend the last date for fulfilment of counter-export obligation in the required proportion, from 30th June, 1975 to 31st August, 1975. The extension has been granted for the limited purpose of fulfilment of counter-export obligation, against imports alread effected from Afghanistan upto 28th February, 1975 and it cannot be utilised for entering into fresh commitments.

3. Exporters/Importers are cautioned that no further extension of time limit will be allowed under any circumstances; and failure to fulfil the counter-export obligation in the reqhired proportion by the crudial date, *i.e.*, 31st August, 1975, will render them liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange Order, rules and regulations.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1975

विषय.—भारत अफ़गान व्यापार व्यवस्था, 1974–75 के अधीन प्रति-निर्यात आभारों को पूर्ण करने के लिये समय-सीमा की वृद्धि ।

संख्या 55–आई टी सी (पी एन)/75.—(1) वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 25–आई टी सी (पीएन)/75 दिनांक 10 अप्रैल, 1975 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31 जुलाई, 1974 और सं० 141–आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 21 सितम्बर, 1974 और

(2) सार्वजनिक सूचना संख्या 24-आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 10 अप्रेल, 1974 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 160-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 की और व्यापारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार पहले ही अफगानिस्तान से जो आयात 28 फ़रवरी, 1975 तक कर लिये गये थे, उनको प्रति संतुलित करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रति-निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिये अन्तिम तिथि की वृद्धि 30 जून, 1975 तक की गई थी ।

2. अफ़गानिस्तान को निर्यात के लिये परेषित माल के लिये बम्बई से करांची तक लदान का स्थान प्राप्त करने में व्यापारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये, स्थिति की पुनरीक्षा की गई है, और उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाओं में आंशिक आशोधन करते हुये प्रति निर्यात आभार को अपेक्षित अनुपात में पूरा करने के लिये अन्तिम तिथि 30 जून, 1975 से बढ़ा कर 31 अगस्त, 1975 तक करने का निश्चय किया गया है । यह वृद्धि अफ़गानिस्तान से पहले ही 28 फ़रवरी, 1975 तक किये गये आयातों के लिये प्रति-निर्यात आभार को पूरा करने के सीमित उद्देश्य के लिये प्रदान की गई है, और आयात के नये सौदे करने के लिये उपयोग नहीं की जा सकती है ।

3. निर्यातकों/आयातकों को यह चेतावनी दी जाती है कि समय-सीमा की और वृद्धि की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायगी, और निर्णायक तिथि अर्थात् 31 अगस्त, 1975 तक अपेक्षित अनुपात में प्रति-निर्यात आभार पूर्ण करने में असफ़ल रहने पर आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जायगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975